

सेवा में,

श्रीमान्

जिला मजिस्ट्रेट, हमीरपुर

कृपया जॉन कर रिपनडा
कॉपी करेD.P.
24/7/2017

विषय : मुल्जिमान व उसके गुर्गों द्वारा धारा 302 की वादिनी व उसके लड़कों को जान से मारने की धमकी देने एवं सूखा प्रदान की जांच के सम्बन्ध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थिया ग्राम झलोखर, थाना कुरारा की रहने वाली है। प्रार्थिया के पति मुन्ना का कत्ल सगे भाई बाबू उर्फ बग्घा व उसके लड़के आकाश ने दिनांक 13/01/2017 को चाकू मारकर कर हत्या कर दी थी।

इस हत्या के मुकदमे में मुझ प्रार्थिया की गवाही जिला सत्र न्यायालय की अदालत में चल रही है, मुल्जिमान की वकील जिरह कर रहे हैं। शेष जिरह के लिए 27/07/2017 लगी है। प्रार्थिया इन मुल्जिमानों के भय से अपने मायके में रह रही है। खाने को मोहताज है। मुल्जिमान अपने मेलियों व रिश्तेदारों को भेजकर धमकी दिला रहे हैं कि सुलह कर लो और गवाही बदल दो, अन्यथा तुम्हें और तुम्हारे लड़के को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। प्रार्थिया बहुत घबरा गयी है। प्रार्थीगण का लड़का आशीष उम्र करीब 14 वर्ष भी इस मुकदमे में गवाह है। प्रार्थिया को भय है कि बाबू उर्फ बग्घा जेल में रहते हुए अपने गुर्गों से मेरी व मेरे लड़के आशीष की हत्या करवा सकता है।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मुझ प्रार्थिया व लड़के आशीष की जानमाल की सुरक्षा की जावे। यदि हम लोगों के ऊपर कोई अप्रिय घटना होती है तो परोक्ष में बाबू उर्फ बग्घा व उसके लड़के आकाश का षड्यन्त्र माना जावे। तारीखों में आने जाने के लिए सुरक्षा दिलाई जावे व थाना कुरारा को निर्देशित किया जावे, महान दया होगी।

दिनांक : 24/07/2017

प्रार्थिया

आशीष

नं. 9532186646

श्रीमती रजुलिया पत्नी स्व० मुन्ना
निवासिनी-झलोखर, थाना कुरारा
जिला-हमीरपुर (उ०प्र०)